

राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के रूप में बालक-बालिकाओं की नामांकित स्थिति (झुंझुनूँ जिले के विशेष सन्दर्भ में)

Enrollment Status of Boys and Girls As Primary Education In Rajasthan (With Special Reference To Jhunjhunu District)

Paper Submission: 13/08/2020, Date of Acceptance: 28/08/2020, Date of Publication: 29/08/2020



प्रियंका

शोधार्थी,
भूगोल विभाग,
महर्षि दयानंद सरस्वती
विश्वविद्यालय, अजमेर,
राजस्थान, भारत

सारांश

शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से ही वह तेजस्वी, बुद्धिमान तथा चरित्रवान बनता है। लेकिन दुनियाभर के बहुत सारे बच्चे इस अवसर के अभाव में जी रहे हैं क्योंकि वे प्राथमिक शिक्षा जो कि उनका मूलभूत अधिकार है, उनसे भी वंचित हैं। राजस्थान शैक्षिक दृष्टि से जिस पायदान पर आज है उसमें महिला साक्षरता 52.1 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र में झुंझुनूँ जिले की वर्तमान जनसंख्या 21,37,045 (2011 के अनुसार) दर्ज की गयी है, जिसे का जनघनत्व 361 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है। साक्षरता की दृष्टि से यहाँ प्राप्त संमकों के अनुसार पुरुष साक्षरता 87.88 प्रतिशत है तथा महिला साक्षरता 61.15 है तुलनात्मक रूप से स्त्री शिक्षा को लेकर काफी कुछ सकारात्मक कार्य क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। लिंगभेद सम्बन्धी विषमतायें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण सामाजिक अभिवृत्ति को प्रतिबन्धित करती है। लेकिन वर्तमान समय में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के नामांकन का पता लगाकर बालिकाओं के नामांकन स्तर को सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

Education is the light through which all the physical, mental, social and spiritual powers of the child are developed. It is through education that he becomes brilliant, intelligent and characterful. But many children around the world are living in the absence of this opportunity because they are also deprived of primary education which is their fundamental right. Rajasthan has 52.1 percent female literacy in the pedestal today. The present population of Jhunjhunu district has been recorded as 21,37,045 (as of 2011), the density of which is 361 persons per sq km. According to literacy figures, male literacy is 87.88 percent and female literacy is 61.15. Comparatively, a lot of positive work needs to be done regarding female education. Gender-related inequalities reflect discrimination against girls especially in rural areas. But at present, efforts are being made to improve the enrollment level of girls by ascertaining the enrollment of students studying at primary and upper primary level.

मुख्य शब्द : मूलभूत अधिकार, लिंगभेद, नामांकन, शिक्षा।

Fundamental Rights, Gender, Enrollment, Education.

प्रस्तावना

महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा और जीवन का क्षेत्र समान होना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह जीवन की रक्षा कर सके। ऐसी बात पहली बार किसी सामाजिक और आध्यात्मिक नेता ने कही थी। दूसरी ओर, विज्ञान ने भी इस बात को अनुमोदन किया है कि समस्त जीवन के लिए शिक्षा का विस्तार व्यवहार में सम्भव हो सकता है।

शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से ही वह समाज के एक उत्तरदायी घटक के रूप में स्वयं को स्थापित करता है। शिक्षा के माध्यम से ही वह तेजस्वी, बुद्धिमान, चरित्रवान, विद्वान एवं वीर बनता है। जिस प्रकार चांदनी के बिना चकौर का कोई महत्व

नहीं है उसी प्रकार शिक्षा के बिना मानव जीवन का कोई महत्व नहीं है जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पाकर सूरजमुखी अपना अस्तित्व सिद्ध करता है।

प्राथमिक शिक्षा

सभी बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूलाधार है। इसी कारण हमारे देश में समस्त बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व सरकार को सौंपा है।

शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बालक का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों में नाना प्रकार की योजनाएँ जैसे—राजीव गाँधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला, शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम, शिक्षाकर्मी योजना एवं मध्याह्न पोषाहार योजना चल रही है ताकि प्राथमिक शिक्षा को उपयोगी, गतिशील एवं आनन्ददायक बनाया जा सके और बच्चों को इसे ग्रहण करने में कोई कठिनाई ना हो। सरकार ने आजादी के बाद गाँव-गाँव में विद्यालय खोले, अध्यापक नियुक्त किए और अनेक प्रोत्साहन भी दिए, परन्तु आजादी के सात दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अब भी वांछित है।

साहित्यावलोकन

शोध की प्रक्रिया में सम्बन्धित शोध साहित्य का अध्ययन एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि मानव की अभूतपूर्व प्रगति का रहस्य का पता उसके द्वारा अतीत के प्रांगण में झाकने से पता चलता है। मनुष्य अपने अतीत के संचित एवं आरेखित अनुभवों के ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान का सृजन करता है शैक्षिक शोध पर भी विकास का यह नियम अक्षरतः लागू होता है।

अध्ययनों का विवरण—विवेचन

कौशिक, अभिनव (2013) ने बालिका शिक्षा की स्थिति एवं विकास के संदर्भ में अध्ययन किया और अपने निष्कर्षों में पाया कि समुदायों तथा ग्रामीण स्थानों पर बालिका शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। बालिकाओं विशेषतः पिछड़ी जाति की बालिकाओं तथा एससी/एसटी जाति की बालिकाओं के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। बालिकाओं की सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व व्यवसायिक स्थिति का भी बालिका शिक्षा पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

जैन, कुशपत (2012) ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभाव पर अध्ययन के फलस्वरूप पाया कि अधिकतर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को शिक्षा में कमी का कारण माना गया है शिक्षक अपने कार्य को सीमित कर सिर्फ अनुशासन व उपस्थिति पर ही ध्यान दे रहे हैं न कि शिक्षा में गुणात्मकता लाने की ओर प्रयास कर रहे हैं। जिससे प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है।

अम्बेडकर, आर.एल. (2011) ने महाराष्ट्र जिले के अकोला जिले में मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक के संदर्भ में अध्ययन कर जाना कि मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण जागरूकता की अपेक्षा अधिक अनुकूल है तथा

अध्यापकों की जागरूकता एवं दृष्टिकोण में उच्च सहसम्बन्ध स्थापित है। इन्होंने अपने निष्कर्ष में पाया कि विधेयक में दिये गये प्रावधानों का प्रशिक्षण अध्यापकों को देना आवश्यक है जिससे अध्यापकों को इस अधिकार की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके ताकि इसका क्रियान्वयन भी सही प्रकार से हो और अधिकार में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन, पूणे (2006) ने प्राथमिक विद्यालयों से बच्चों के विद्यालय छोड़ने, विशेष रूप से बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने के विषय में अध्ययन करके पता लगाया कि विद्यालय में सभी प्रकार की भौतिक सुख-सुविधाएँ होने के बावजूद भी छात्राओं को विद्यालय छोड़ने का कारण विद्यालय में महिला अध्यापकों की नियुक्ति ना होना है तथा अभिभावकों का कम पढ़ा लिखा होना है। अध्यापकों में कर्तव्यनिष्ठा का अभाव है, प्रभावी पर्यवेक्षण की कमी, उच्च स्तर की राजनीति, अध्यापकों की उदासीनता विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति व नामांकन पर ऋणात्मक प्रभाव डालती है।

सिंह श्यामसुन्दर (1994) ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में देवरिया जिले के "प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पर एक अध्ययन" विषय पर अपना शोध प्रबन्ध काशी विद्यापीठ वाराणसी में प्रस्तुत किया। इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यों में प्रमुखतः प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं तथा शहरी-ग्रामीण विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर, समायोजन तथा नामांकन स्थिति का अध्ययन कर विद्यार्थियों के अपव्यय तथा अवरोधन के कारणों का तुलनात्मक अध्ययन करना था। इन्होंने अपने निष्कर्षों में पाया कि दोनों क्षेत्रों तथा वर्गों में अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या का प्रमुख कारण शैक्षणिक संसाधनों, शिक्षा के प्रति छात्र अभिभावक, सरकार के रुझान में कमी, शैक्षिक पद्धति और शैक्षिक स्थिति का महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली प्रभाव देखने को मिला। सवर्ण जाति की अपेक्षा पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों पर आर्थिक प्रभाव अधिक रहा। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की अपेक्षा आर्थिक प्रभाव प्रभावित रहा है।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति गैर अनुसूचित जातियों की तुलना में न्यून है। अपनी जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जातियों का नामांकन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नहीं है। इन वर्गों की महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। देवरिया जनपद में अनुसूचित जाति की आबादी कुल आबादी का 22 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के छात्रों की तुलना में वर्ष 1990-1991 तथा 1992 में क्रमशः 16, 18 तथा 16 प्रतिशत रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल छात्रों का एक चौथाई भाग ही बालिकाएँ नामांकित थीं। शहरी क्षेत्रों में कुल छात्रों का एक तिहाई भाग ही बालिकाएँ नामांकित थीं।

शोध क्षेत्र की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्ययन क्षेत्र झुंझुनू जिला राजस्थान राज्य के 27°38' से 28°36' उत्तरी अक्षांश तक तथा 75°02' से 76°06' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले के

उत्तर-पश्चिम में चुरू जिला तथा दक्षिण पश्चिम में सीकर जिला तथा उत्तर-पूर्व में हिसार और महेन्द्रगढ़ से घिरा हुआ है। अध्ययन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र 5928 वर्ग कि.मी. है। समुद्र तल से 338 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। झुंझुनूँ जिले का नाम झुंझुनूँ नगर से लिया गया है जिसमें खेतड़ी, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, बिसाऊ, डुण्डलोद और मण्डावा ठिकानों को सम्मिलित किया गया है जो स्वतंत्रता पूर्व जयपुर राज्य के भाग थे यह क्षेत्र कभी स्वतंत्र राज्य नहीं रहा परन्तु व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है और यहां के व्यापारी देश-विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं यहां व्यापारियों के द्वारा निर्मित हवेलियां व मन्दिर आज पर्यटक स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। जिले का अधिकांश भाग मैदानी है। रेतीले टीलों की ऊँचाई लगभग 15-30 मीटर के मध्य है जिले का सामान्य ढलान उत्तर-पूर्व की ओर है।

जिले के पाँच मुख्य विभाजन तथा छह तहसीलों झुंझुनूँ, चिड़ावा, खेतड़ी, बुहाना, नवलगढ़, उदयपुरवाटी तथा 8 पंचायत समितियों में बटा हुआ है। अध्ययन क्षेत्र झुंझुनूँ जिले में 12 नगरपालिकाएँ है। जिले की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 21,37,045 है तथा जिले का जनघनत्व 361 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. है, जो 2001 की तुलना में 38 अधिक है। जिले की कुल जनसंख्या राजस्थान की 3.12 प्रतिशत है जिसमें 1,095,896 पुरुष तथा 1,041,149 महिलाएँ हैं। 2001-2011 के मध्य जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 11.67 प्रतिशत रही, जिले की कुल साक्षरता 2001 में जहां 73.04 प्रतिशत थी वहीं 2011 में बढ़कर 74.72 प्रतिशत के साथ राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त है। जिले की पुरुष साक्षरता 87.88 प्रतिशत जो राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है, जिला महिला साक्षरता की दृष्टि से कोटा और जयपुर के बाद 61.15 के साथ तीसरा स्थान रखता है। झुंझुनूँ जिले में 12 नगर 927 गांव है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार जिले के कुल क्षेत्रफल 591536 हेक्टेयर में से वन क्षेत्र (6.70 प्रतिशत), कृषि के लिए अयोग्य (6.34 प्रतिशत), जोत रहित भूमि, पड़त भूमि के अतिरिक्त (7.87 प्रतिशत), पड़त भूमि (7.62 प्रतिशत), वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल दुपज घटाकर (71.47 प्रतिशत) है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किये गये हैं-

1. झुंझुनूँ जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के नामांकन का पता लगाना।
2. झुंझुनूँ जिले में संचालित सर्वशिक्षा अभियान की प्रभावशीलता का बालिकाओं के संदर्भ में अध्ययन करना।

परिकल्पना

1. ग्रामीण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा शहरी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं की नामांकन स्थिति में भारी अंतर है।

ग्रामीण उच्च प्राथमिक व शहरी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अपव्यय अवरोधन में काफी अंतर है।

शोध विधि तंत्र

प्रस्तावित शोध कार्य में प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। प्राथमिक आंकड़े अवलोकन, साक्षात्कार प्रश्नावली आदि के माध्यम से प्राप्त किये गये हैं जबकि विद्यालय में बालक-बालिका संख्या, साक्षरता, नामांकन, ड्राप आउट रेट आदि से सम्बन्धित आंकड़े द्वितीयक स्रोतों से लिये गये हैं।

तथ्यों के विश्लेषण व विवेचन के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त कर व्याख्या की गयी तथा संभावित सुझाव देकर शोध कार्य को पूर्ण किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य

राजस्थान क्षेत्रफल (3,42,239 वर्ग किमी) की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसमें देश की लगभग 5.66 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है, जिसमें पुरुषों व महिलाओं की संख्या 35,550,997 व 32,997,440 है। राज्य की कुल जनसंख्या में 6-14 वर्ष के बच्चों की संख्या 11,970,325 है। पुरुषों व महिलाओं का लिंग अनुपात 1000 : 928 है। राज्य में 7 संभाग, 33 जिले, 244 ब्लॉक, 249 पंचायत, 244 तहसील, 9177 ग्राम पंचायत, 44,672 गांव हैं। भारत में साक्षरता की कुल दर 74.04 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 65.46 प्रतिशत है जबकि राजस्थान में साक्षरता की दर 66.11 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता की दर 79.19 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता की दर 47.76 प्रतिशत है (भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार)। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कोटा 76.56 प्रतिशत एवं न्यूनतम साक्षरता जालौर 54.86 प्रतिशत जिले में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनूँ 86.90 प्रतिशत एवं न्यूनतम प्रतापगढ़ 69.5 प्रतिशत में है तथा सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा 65.9 प्रतिशत एवं न्यूनतम जालौर 38.5 प्रतिशत में है। राजस्थान में शिक्षा में सर्वाधिक लैंगिक असमानता (Gender-Gap) सर्वाधिक साक्षरता जिले में 34.96 प्रतिशत एवं न्यूनतम लैंगिक असमानता गंगानगर जिले में 19.26 प्रतिशत में है (भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार)। भारत में महिला साक्षरता की दर पुरुष साक्षरता की दर से कम है। राजस्थान में तो महिला साक्षरता की दर सभी राज्यों से निम्नतर स्थिति में है।

राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद् की रिपोर्ट (2012-13) के अनुसार, राजस्थान राज्य में 257 ब्लॉक, 10017 नोडल, 473344 कुल शिक्षक, 113101 कुल विद्यालय हैं जिनमें 13396241 बच्चे नामांकित हैं। इन नामांकित बच्चों में 2516092 बच्चे राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 371318 निजी प्राथमिक विद्यालय, 3170914 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 2226825 बच्चे निजी उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत हैं। इन बच्चों में 6-14 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या 10629769 है जिनमें 5689038 बालक और 4940731 बालिकाएँ हैं।


तालिका 1.1
भारत व राजस्थान की साक्षरता दर (प्रतिशत में)

क्र.सं.	विवरण	साक्षरता दर (2011)	पुरुष साक्षरता दर (प्रतिशत)	महिला साक्षरता दर (प्रतिशत)	साक्षरता दर (2001)	दशकीय अन्तर
1.	भारत	74.04	82.14	65.46	64.83	9.21
2.	राजस्थान	67.06	80.51	52.66	60.41	6.65

स्रोत: भारतीय जनगणना 2011

तालिका 1.1 में प्रदर्शित आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने पर यह पाते हैं कि बालक और बालिका के बीच शिक्षा के स्तर में लैंगिक अंतर हमें राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलता है, जहाँ पर पुरुषों की साक्षरता का दर 80.51

प्रतिशत एवं महिलाओं की साक्षरता दर केवल 52.66 है। राजस्थान में लिंगानुपात व साक्षरता के स्तर का आंकलन करने के बावजूद हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में आज भी राजस्थान में महिलाओं की संख्या कम है।



रेखाचित्र-1.1 प्रदर्शित आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74.03 प्रतिशत है वहीं राजस्थान में 67.06 है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर प्रतिशत 64.83 प्रतिशत तथा राजस्थान में 60.41 है। इनमें दशकीय अन्तर को देखा जाये तो भारत में यह दशकीय अन्तर 9.21 रहा वहीं राजस्थान में 6.65 प्रतिशत रहा है। राजस्थान में साक्षरता के स्तर का आंकलन करने के बावजूद हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में अभी भी भयानक रूप से प्रतिशत कम है।

राजस्थान में बालक-बालिकाओं की नामांकन स्थिति राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण विकास के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए अधिकृत किया है। प्रत्येक जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्ण तत्परता से इस उत्तरदायित्व के निर्वहन में लगे हुए हैं; 'सबके लिए शिक्षा' परियोजना के सुलभ संचालन के लिए स्तर शिक्षा योजना पर आरम्भ की गई है। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप योजना सभी जिलों में क्रियान्वित है।

तालिका-1.2
राजस्थान में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या

विद्यालय स्तर	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
केवल प्राथमिक	49210	49642	51413	54774	41544	42577	40193
प्राथमिक उच्च प्राथमिक के साथ	28216	40322	38079	38565	37346	37428	36807
प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक एवं सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी	11468	12424	6294	5756	10996	15297	16185
केवल उच्च प्राथमिक	309	280	244	242	217	228	207
उच्च प्राथमिक सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी के साथ	5986	6520	3577	4147	1173	1176	810
प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक/सैकण्डरी	0	0	8936	8934	14424	10827	10998
उच्च प्राथमिक सैकण्डरी के साथ	0	0	4441	7156	554	398	246
कुल	105190	109189	112984	119574	106254	107931	105438

परोक्त तालिका 1.2 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि राजस्थान में वर्ष 2010-11 में कुल विद्यालयों की संख्या जिनमें प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय के साथ उच्च प्राथमिक, प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक एवं सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी, केवल उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी के साथ, प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक/सैकण्डरी एवं उच्च प्राथमिक राजस्थान में बालक-बालिकाओं की नामांकन स्थिति

सैकण्डरी के साथ की संख्या 1,05,190 थी जो कि 2016-17 में बढ़कर 1,05,438 हो गई। वर्ष 2012-2013 में राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी विद्यालयों में विलिन कर दिया जिससे प्राथमिक विद्यालयों के साथ उच्च प्राथमिक/सैकण्डरी विद्यालयों की संख्या में निरन्तर बढ़ोतरी होती गई।

तालिका-1.3
राजस्थान में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन स्थिति

नामांकन वर्ष	कुल नामांकन	बालिका नामांकन	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे	
			बालक	बालिकाएँ
2010-11	8432836	3947266	33874	24022
2011-12	8657160	4067161	31152	22230
2012-13	8656224	7062512	33233	21790
2013-14	8394087	3910467	51643	33553
2014-15	8140866	3771864	50082	33445
2015-16	8273609	3845016	47587	32132
2016-17	8056822	3752734	42138	28346
कुल	58611604	30357020	289709	195518

स्रोत: प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण विकास के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए अधिकृत किया है। प्रत्येक जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्ण तत्परता से इस उत्तरदायित्व के निर्वहन में लगे हुए हैं; 'सबके लिए शिक्षा' परियोजना के सुलभ संचालन के लिए स्तर शिक्षा योजना पर आरम्भ की गई है। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप योजना सभी जिलों में क्रियान्वित है।

संख्या 49342 प्राथमिक विद्यालयों में बालक बालिकाओं के नामांकन की स्थिति जहाँ 8432836 थी वहीं वर्ष 2016-17 में यह घटकर 8056822 रह गयी जिसका प्रमुख कारण वर्ष 2012-2013 में राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी विद्यालयों में विलिन कर दिया जिससे प्राथमिक विद्यालयों के साथ उच्च प्राथमिक/सैकण्डरी विद्यालयों की संख्या में निरन्तर बढ़ोतरी होने के कारण इन विद्यालयों में कुल बालक बालिकाओं के नामांकन का कम होना है।

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि राजस्थान में वर्ष 2010-11 में कुल विद्यालयों की

तालिका-1.3
झुंझुनू जिले के शैक्षणिक ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन स्थिति
(वर्ष 2012-2017)

क्र.सं.	शैक्षणिक ब्लॉक	प्राथमिक	
		बालक	बालिकाएँ
1.	अलसीसर	454 (12.40%)	988 (16.90%)
2.	बुहाना	386 (10.50%)	496 (8.49%)
3.	चिड़ावा	390 (10.70%)	638 (10.90%)
4.	झुंझुनू	441 (12%)	592 (10.1%)
5.	खेतड़ी	458 (12.5%)	567 (9.70%)
6.	नवलगढ़	449 (12.30%)	600 (10.3%)
7.	सूरजगढ़	469 (12.80%)	1199 (20.5%)
8.	उदयपुरवाटी	614 (16.80)	765 (13.1%)
कुल		3661 (100%)	5845 (100%)

स्रोत: प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि झुंझुनूँ जिले के शैक्षिक ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय के नामांकन की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। तालिका के अध्ययन के अनुसार झुंझुनूँ जिले के शैक्षणिक ब्लॉक में वर्ष 2012-2017 में 3661 बालकों का नामांकन हुआ जबकि 5845 बालिकाओं का नामांकन दर्ज किया गया है। इससे यह पता चलता है कि बालिका शिक्षा में अच्छी प्रगति दर्ज की गई है। सर्वाधिक प्रतिशत 20.50 (1199) प्रतिशत सूरजगढ़ ब्लॉक में पाया गया है। न्यूनतम प्रतिशत 8.49 (496) प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन बुहाना तहसील ब्लॉक में दर्ज किया गया है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा में झुंझुनूँ जिले की स्थिति काफी सन्तोषजनक कही जा सकती है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा में बढ़ोतरी पायी गयी है।

आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए—

1. नामांकन बढ़ोतरी के कारणों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि राजस्थान में छात्राओं के नामांकन का प्रतिशत जहाँ कम हुआ है वहीं झुंझुनूँ जिले में छात्राओं के नामांकन की स्थिति काफी सुदृढ़ पायी गयी है।
2. प्रस्तुत अध्ययन कार्य में छात्र नामांकन की दर काफी कम एवं प्रसार की गति बहुत ही धीमी रही है। इसे देखते हुए शिक्षा अधिकारियों को एक लक्ष्य निर्धारित

कर छात्रों के लिए भी कोई योजना सरकार द्वारा लानी चाहिए।

3. सरकारी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों में महिला शिक्षक की ही नियुक्ति की जाये। जिससे अभिभावकों का मन बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालयों में भेजा जाये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता डॉ. एस.पी.—भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ।
2. गुप्ता डॉ. आर.पी.—शिक्षा की बुनियाद—सहभागिता, आखर जोत पृ.सं 44,
3. राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, अप्रैल जून 2005
4. मदन मोहन, "भारतीय शिक्षा का विकास और समस्याएँ", कैलाश प्रकाशन इलाहाबाद, 1993-94
5. वर्मा प्रीति एवं श्रीवास्तव डी.एन., "मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी", विनोद पुस्तक मंदिर आगरा 1982.

पत्र पत्रिकाएँ

6. शिक्षा चिंतन: सर्व शिक्षा अभियान (लेख); अक्टूबर 2005, मार्च 2006 त्रिमूर्ति संस्थान, कानपुर।
7. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा झुंझुनूँ 2006 से 2019

Website

8. www.rajeducationportal.gov.in
9. www.ssa.in
10. www.nuepa.org